


Information Sought:

सेवा में,

Finance Secretary Government of India
Ministry of Finance (CBIC)/CBDT,
Department of Expenditure,
Room No. 76, New Delhi - 110001



महोदय,

विषय:- जन सूचना अधिनियम के तहत निम्न जानकारी प्रदान करने का कष्ट करे

।

- 1 भारत सरकार के अधीन कार्यरत केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत GEM Portal के हायर की गई साथ ही सरकारी को वह साम अधिकारी महोदय का designations हायर की गई एवं सरकारी गाड़ी का उपयोग कर सकते है। -जैसे सहायक आयुक्त, उपायुक्त, ज्वाइन्ट कमिश्नर, एडिसनल कमिश्नर बताने का कष्ट करे।
- 2 जो अधिकारी/ कर्मचारी ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स का लाभ ले रहे, तो सरकारी Hired Vehicle का लाभ ले सकते है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करे।
- 3 किसी भारत सरकार के अधीन कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सरकारी या हायर वाहन का दुरुपयोग होने की दशा में लगने वाले CCS Conduct Rule की जानकारी की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे।
- 4 किसी भारत सरकार के अधीन कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सरकारी वाहन या हायर वाहन का उपयोग करता है जो Misuse conduct की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में जानकारी की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे।
- 5 किसी अधिकारी / कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच प्रक्रिया विचाराधीन है, तो इस रिश्ति में Vigilience Clearance में आने वाले नियमों की जानकारी एवं नियम की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे।
- 6 किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का Vigilience Clearance नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के Promotions पे पणने वाले प्रभाव की जानकारी एवं नियम की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे।
- 7 Steno Grade-I, Steno Grade-II, की भर्ती भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों जैसे CBIC/CBDT/AG-OFFICE/दियानी-न्यायालय एवं माननीय हाईकोर्ट में भर्ती किये जाने के बारे में जानकारी एवं छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे।
भवदीय
- 8 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर मुख्य आयुक्त/प्रधान कार्यालय दिल्ली से यह बताने का कष्ट करे कि Steno Grade-I, Steno Grade-II की भर्ती भारत सरकार द्वारा किस कार्य के लिए किये जाते है। इसका नियम एवं करने वाले कार्य के सम्बन्ध में छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे।
- 9 CGHS STATION में कार्यरत रहने के बाद किसी अधिकारी/ कर्मचारी का स्थानान्तरण NON-CGHS STATION पर हो जाता है, तो अधिकतम कितने माह तक NON-CGHS STATION पर सूचिया लिया जा सकता है। भारत सरकार के आदेश एवं निर्देश की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे।

प्रार्थी ने 10 और 10 कुल 20/- रुपया का पोस्टल आर्डर नम्बर क्रमशः 71F 387443 71F 387444 इस आशय के साथ लगा रहा है कि नियम की छायाप्रति में उपयोग किया जा सके।

Information Provided:

In this regard, it is submitted that the point wise reply of requisite information is as under:

1. Operational cars hired through GEM Portal can be used by officers/ employees for official work.
- 2 to 4. Information is available in Public Domain.
- 5 to 7. Does not pertain to this Commissionerate.
8. Work allocation Orders of Steno Grade-I & II are enclosed herewith. The rules and regulations in this matter are available in the public domain.
9. Information is available in Public Domain.